राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प0 27 (20) चिस्वा/02/2017 जयपुर, दिनांक 21.04.2017

मैसर्स–जॉनसन एण्ड जॉनसन प्राईवेट लि. जोगेश्वरी विखरोली लिंक रोड, माजस बस डिपों के पीछे, जोगेश्वरी (पूर्व) मुम्बई 400060

अपीलान्ट

बनाम

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या 48/2017

अपील अन्तर्गत धारा 38 (1),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 21.04.2017

प्रस्तुत अपील पर, सुनवाई दिनांक 11.4.2017 एवं 13.04.2017 को की गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट फर्म M/s Johnson & Johnson Pvt. Ltd, (East), Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष प्रियदर्शी एवं फर्म के प्रतिनिधि श्री दिवाकर गोविल, श्री अरविन्द वंत्स उपस्थित हुये तथा आरएमएससीएल की तरफ से ओ.एम.कसेरा, प्रबन्ध निदेशक, मेवाराम जाट कार्यकारी निदेशक (उपापन लिंक अधिकारी),उपस्थित हुये। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार हैः–

1. संक्षिप्त में अपील में तथ्य इस प्रकार हैं कि आरएमएससीएल द्वारा NIB-07/2016 दिनांक 15.07.2016 के माध्यम से 118 सर्जिकल एवं सूचर्स की आपूर्ति हेतु निविदा जारी की गई थी जिसमें 40 सूचर्स थे । निविदा की प्री–बिड दिनांक 25.7.2016 को आयोजित की गई तथा तकनीकी बिड दिनांक 14.10.2016 को खोली गई जिसमें 115 आइटम्स् के लिए बिड प्राप्त हुई। अन्य निविदादाताओं के साथ अपीलान्ट संस्था द्वारा भी सर्जिकल कोड S-1,S-74,S-79.S-80 तथा सूचर्स कोड संख्या R-8,R-9, R-11, R-12, R-13,R-15, R-17, R-18,R-19, R-20, R-21, R-22, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-75, R-33, R-34, R-37, R-38, R-39, R-41, R-44, R-45, R-46,R-48, R-50, R-51, R-64, R-65, R-67, R-68, R-69, R-70, R-71, R-72, R-73 & R-74 हेतु निविदा प्रस्तुत की गई थी। तकनीकी मूल्यांकन उपरांत निविदा की वित्तीय बिड दिनांक 24.01.2017 को खोली गई जिसमें जिसमें आईटम कोड R-68 to R74 की Responsiveness/ Non Responsiveness को Laboratory test reports (Regarding Antibacterial Coating) तथा Technical /clinical evaluation reports के अध्ययधीन रखा गया। यदि Appellant को इस पर कोई आपत्ति थी तो उसी समय करनी चाहिए थी परन्तु M/s Johnson & Johnson Pvt. Ltd ने उस समय इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। Tentative List पर अन्य फर्मो से प्राप्त अभ्यावदेनों का नियमानुसार परीक्षण किया जाकर Final List of Bidders Declared Responsive/Non Responsive दिनांक 24.01.2017 को जारी की गई जिसमें फर्म M/s Futura Surgicare Pvt. Ltd. के आइटम R-9,11,13,15,18, 24, 37, 41,50,51 ,M/s Johnson & Johnson Pvt. Ltd के आइटम R-8,R-20, R-21, R-22, R-24,

R-25, R-27, R-28, R-33, R-34, R-37, R-38, R-41,R-44, R-45, R-46, R-48, R-50, R-51,S-79, S-80 एवं M/s Covidien Healthcare India Pvt. Ltd. के आइटम R-9, R-11, R-12, R-13, R-15, R-17, R-21, R-24, R-33, R-37, R-64, R-67, S-81 को नॉन रेस्पोंसिव घोषित किया गया। खोली गई वित्तीय बिड में इन आइटम्स् की दरें भी प्रदर्शित हो रही है क्योंकि ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम में यह सुविधा ही उपलब्ध नहीं है कि Non Responsive आइटमों की दरों को Hide किया जा सके । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस समय भी Appellant द्वारा आपत्ति नहीं की गई। इसी निविदा में आईटम कोड S-1 के लिए Appellant को दिनांक 03.04.2017 को Letter of Acceptance जारी किया गया है। फर्म द्वारा इस पर भी कोई आपत्ति नहीं की गई है।यदि सभी आईटम्स् (R-68 to R-74 को सम्मिलित करते हुए) की वित्तीय दरें एक साथ खुलती तो भी इसी प्रकार प्रदर्शित होती एवं इससे न तो निविदा प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पडा है और न ही Appellant के हितों पर कोई प्रभाव पडा है। निगम द्वारा आइटम्स् R-68 to R74 की Laboratory test reports (Regarding Antibacterial Coating) तथा Technical /clinical evaluation reports प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 27.03.2017 को List of Bidders Declared Responsive/Non Responsive जारी की गई जिसमें सभी तीन फर्मो को रेस्पोंसिव घोषित किया गया। तत्पश्चात् क्रय समिति की बैठक दिनांक 30.03.2017 में L1 दरों का अनुमोदन किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट संस्था द्वारा हस्तगत प्रथम अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(1) के तहत प्रस्तुत की है।

2 अपील दर्ज की गई व अपीलार्थी द्वारा पेश की गई सर्जिकल एवं सूचर्स के आईटम कोड R-68 to R74 की बिड के संबंध में आगामी सुनवाई तक संबंधित कार्यवाही ना करें दिनांक 06.04.2017 को स्थगन आदेश जारी किये गये।

1. अपील सुनवाई दिनांक 11.04.2017 को नियत की गई। रेस्पोडेन्ट निगम की ओर से लिखित में जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।
2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलार्थी ने कमोवेश प्रस्तुत अपील के तथ्यों को ही दोहराया। प्रमुख रूप से तर्क रहा कि सूचर्स (आइटम कोड R-68 to R74) का तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण किये बिना ही वित्तीय बिड खोली गई है जो RTPP Act 2012 की धारा 32 का उल्लंघन है। निगम (respodent) द्वारा अपने पक्ष में कहा गया कि निविदा के अन्तर्गत प्राप्त सभी बिडों का तकनीकी दस्तावेजी मूल्यांकन पूर्ण किया गया तथा निविदा शर्त सं0 7 के अनुसार निविदा के अन्तर्गत प्राप्त सैम्पल्स Technical/clinical evaluation हेतु अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को भिजवाये गये। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा आइटम कोड संख्या के Antibacterial Coated होने अथवा न होने के संबंध में Laboratory Test प्रस्तावित किया गया । निविदा में उल्लेखित आइटम्स की दर संविदा माह सितम्बर 2016 में समाप्त हो जाने के कारण एवं आइटम कोड R-68 to R-74 की Laboratory test में अत्याधिक समय लगने की संभावना के मध्यनजर अन्य उत्पादों की आपूर्ति बाधित न हो, इस पर विचार करते हुए क्रय समिति द्वारा आइटम कोड R-68 to R-74 की Responsiveness का निर्धारण सशर्त करते हुए अन्य आइटमों के साथ जनहित में वित्तीय बिड खोलने का निर्णय लिया गया ताकि अन्य आइटम्स की दर अनुमोदित की जा सके । निविदा प्रकिया के तहत बिडर्स को जिस प्रारूप में वित्तीय दर प्रस्तुत करनी होती है वह प्रारूप (BoQ) ई–प्रोक्यूरमेंट की साइट द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। ई–प्रोक्यूरमेंट के सिस्टम में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है कि किसी बिडर्स के

आइटम विशेष की दर को Hide किया जा सके अर्थात् कुछ आइटमों की दरों को छोडते हुए अन्य आइटमों की दरों को खोला जा सके एवं बाद में छोडे हुए आइटमों की वित्तीय दरों को Open किया जा सके। आरएमएमसी द्वारा आइटम R-68 to R-74 की दरों का Responsiveness के निर्धारण से पूर्व Cognizance नहीं लिया गया तथा निविदा प्रकिया अपनाते हुए सैम्पलस् की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही क्रय समिति के निर्णयानुसार दिनांक 27.03.2017 को List of Bidders Declared Responsive/Non Responsive (For Item Code R-68 to R-74) जारी की गई। तत्पश्चात् क्रय समिति की बैठक दिनांक 30.03.2017 में दरों का अनुमोदन किया गया। RTPP Act 2012 की धारा 32 Two Bid system पर लागू होती है जबकि वर्तमान बिड Two stage Bidding है । इस प्रकार निगम द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। निगम द्वारा इस प्रकार के पूर्ण प्रकरण भी प्रस्तुत किये जिनमें तकनीकी निर्धारण के बिना भी वित्तीय बिड खोली गई है ।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी ने यह भी अवगत कराया कि हमारे एवं एक अन्य फर्म M/s Futura Surgicare Pvt. Ltd के प्रोडक्ट की जॉच NABL lab - Oasis में कराई गई तथा फर्म M/s Covidien की जॉच Centre for Converging Technologies, University of Rajasthan में कराई गई है। निगम (respodent) द्वारा अपने पक्ष में कहा गया कि तीनों फर्मो के सैम्पलस् NABL lab - Oasis को भिजवाये गये थे जिसके द्वारा अपीलान्ट संस्था तथा फर्म M/s Futura Surgicare Pvt. Ltd की जॉच रिपोर्ट दी गई तथा M/s Covidien के संबंध में टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण रिपोर्ट देने में असमर्थता व्यक्त की गई । निगम द्वारा फर्म के सैम्पलस् की जॉच Centre for Converging Technologies, University of Rajasthan द्वारा कराई गई जो राजकीय संस्था है। तीनों फर्मो की प्राप्त Laboratory Test Reports के तकनीकी परीक्षण हेतु निदेशक, राजकीय औषधि प्रयोगशाला, जयपुर एवं औषधि नियंत्रक राजस्थान के प्रतिनिधि की एक समिति का गठन किया गया । समिति की रिपोर्ट के साथ Laboratory Test Reports को संलग्न कर अधीक्षक, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर को Technical/clinical evaluation Report प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया । मूल्यांकन हेतु गठित समिति द्वारा आइटम कोड R-68 to R-74 के लिए निविदा में भाग लेने वाली तीनों फर्मो के सैम्पलस् को Antibacterial माना जाकर आरएमएससी के स्पेसिफिकेशन्स् के अनुरूप घोषित किया गया है। अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तुत Technical/clinical evaluation Report दी है उसके अनुसार भी तीनों कम्पनी के नमूनों को Anti bacterial coating माना है एवं Tender के Specification के अनुसार मानते हुए अभिशंषा की है।

4. हमने उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क वितर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन भी किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा दोनों पार्टियों के पक्ष के बिन्दुओं पर मनन करने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि मुख्यरूप से अपीलकर्ता ने इस बिन्दु पर आरएमएससी के विरूद्व अपील की है कि उनके द्वारा आरटीपीपी अधिनियम/नियमों की अवहेलना करते हुए तकनीकी बिड में सफल किये बिना कुछ उत्पादों की वित्तीय निविदा खोल ली गई है। इस संबंध में उनके द्वारा आरटीपीपी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करने के साथ–साथ कलकता उच्च न्यायालय के निर्णयों का भी हवाला दिया गया कि उनके द्वारा वित्तीय निविदा खोली जा सकती है जबकि तकनीकी बिड में बोलीदाता सफल होता है। इसके साथ ही अपीलकर्ता द्वारा उत्पाद " Anti Bacterial" प्रकृति के संबंध में भी बहस की गई तथा

उनका यह मत था कि सफल बोलीदाता के इस उत्पाद की इस गुणवत्ता संदिग्ध है। आरएमएससी द्वारा बिन्दुवार अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी द्वारा सर्वप्रथम आरटीपीपी अधिनियम के नियमों की अवहेलना के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बिड प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है तथा निविदा ई प्रोक्यूरमेंट साइट के जरिये ही जाती है। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में ही यह अवगत करवा दिया था कि कुछ आईटमस्/उत्पादों की तकनीकी निविदा बाद में खोली जायेगी, इसलिए इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं हैं। उस संबंध में कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। यहॉ तक कि जब ई प्रोक्यूरमेंट साईट के संबंध में सभी सफल कम्पनियों के उत्पादों की वित्तीय बिड खोली गई जिसमें प्रश्नगत R-68 से R-74 उत्पाद शामिल थे, उस समय कम्पनी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई लेकिन जब प्रश्नगत उत्पादों की तकनीकी रिपोर्ट सफल बोलीदाता के पक्ष में हुई जब अपीलकर्ता कम्पनी द्वारा अपील की गई हैं जिसमें यह ज्ञात होता है कि कम्पनी को सारी प्रक्रिया पूरी तरह से पता थी तथा कुछ भी संबंधित बोलीदाता की जानकारी के बिना नहीं हुआ है। हमारे द्वारा ई प्रोक्यूमरमेंट साईट पर तकनीकी तथा वित्तीय निविदा की प्रक्रिया को समझने के बाद ही निर्णय किया गया है। जब भी बिडर्स की वित्तीय दरों (BoQ) को खोला जाता है तो उसके द्वारा भरी हुई सभी दरें प्रदर्शित होती है चाहे वह आइटम Responsive हो या Non Responsive। ई–प्रोक्यूरमेंट के सिस्टम में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है कि किसी बिडर्स के आइटम विशेष दर को Hide किया जा सके अर्थात कुछ आइटमों की दरों को छोडते हुए अन्य आइटमों की दरों को खोला जा सके एवं बाद में छोडे हुए आइटमों की वित्तीय दरों को Open किया जा सके।

जहॉ तक कम्पनी के प्रश्नगत उत्पादों के तकनीकी रूप से Anti Bacterial होने या नहीं होने का प्रश्न है, हमारे द्वारा केवल यह देखा जा सकता है कि बोलीदाता को किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ तो नहीं दिया जा रहा है तथा तकनीकी समितियों द्वारा किये गये परीक्षण एवं कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाना तथा उस पर किसी प्रकार की सुनवाई करना इस प्रक्रिया में आवश्यक नहीं पाया गया। आरएमएससी द्वारा सफल बोलीदाता के उत्पादों की जॉच के संबंध में पूरी प्रक्रिया बता दी गई थी।

अतः अपील सारहीन होने से स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा निरस्त की जाती हैं। इस संबंध में जारी स्थगन आदेश को भी निरस्त किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

अपीलीय अधिकारी एवं
शासन सचिव